(11)

संख्या– 1903 /।।।(2)/15–05(प्रा0आ0)/2015

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 | देहरादूनः दिनांकः 20 मार्च, 2015

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 04 कार्यों की प्रथम चरण की [illegible] की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य [illegible] उत्तराखण्ड द्वारा संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 04 कार्यों के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 34.00 किमी0 तथा लागत ₹ 325.43 लाख है, पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 325.43 लाख (₹ तीन करोड पच्चीस लाख तैंतालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में संलग्नक के कॉलम सं0–5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 04 कार्यों हेतु ₹ 0.40 लाख (₹ चालीस हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i)– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:–1764/।।।(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी।

(ii)– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित [illegible] जो दरें शेड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरे मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)– [illegible] किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर

(vii)– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0– 2047/[illegible] के निर्देशों का निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सडकें– आयोजनागत–800–अन्य व्यय–05–सडक/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण –00–24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय–व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

छायाप्रति सत्यापित

AE

Assistant Engineer
Ty Division PWD
Gauchar (Chamoli)

(12)

– स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता होगा।

वर्तमान ... स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हेतु सुनिश्चित किया जायेगा। ... में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

i) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो से कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

ii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाइन/मानक, पूर्ण रूप अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।

... होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान –800–अन्य व्यय–... आयोजनागत

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या– 896/XXVII(2)/2014 दि0– 16 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्याः– 1903 /II(2)/15–05(प्रा0आ0)/2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी ...
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(एस0एस0 पांगती)
उप सचिव

सत्यापित प्रतिलिपि

AE

यथाप्राप्त सत्यापित

Assistant Engineer
Ty Division PWD
Gauchar (Chamoli)

शासनादेश संख्या-1903 /III(2)/15-05(प्रा0आ0)/2015 दिनांक 20 मार्च, 2015

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई किमी0 में	टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री/यमुनोत्री के वि0खण्ड डुण्डा/नौगांव में नाकुरी – सिंगोट–फलारचा–नन्दगांव–गंगनानी मोटर मार्ग का नवनिर्माण का कार्य।	25.00	225.50 (₹ 146.25 लाख + ₹ 79.25 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
2	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम पंचायत [illegible] का [illegible] मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3.00	42.06 ([illegible] ₹ 24.51 [illegible] वाले कार्य)	0.10
3	जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के विकास खण्ड कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर मार्ग से ग्राम गैरोली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3.00	42.51 (₹ 17.55 लाख + ₹ 24.96 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
4	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के के अन्तर्गत कैन्डूर सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	3.00	15.36	0.10
	योग:-	34.00	325.43	0.40

(कुल ₹ एक चालीस हजार मात्र)

(एल0एस0 पांगती)
उप सचिव

A.E.

छायाप्रति सत्यापित

Assistant Engineer.
Ty. Division P.W.D
Gauchar (Chamoli)